



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19042024-253779
CG-DL-E-19042024-253779

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 19, 2024/चैत्र 30, 1946

No. 98]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 19, 2024/CHAITRA 30, 1946

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2024

आ.अ. 107(अ).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) के उपबंध के अनुसरण में, और इस निमित्त पूर्व में जारी अपनी अधिसूचना के अधिक्रमण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, लद्दाख संघ राज्य-क्षेत्र सरकार के परामर्श से, नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सरकारी अधिकारियों को लद्दाख संघ राज्य-क्षेत्र में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी की सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के रूप में नामोद्दिष्ट करता है जैसा कि उक्त तालिका के स्तंभ (1) में ऐसे अधिकारी के सम्मुख विनिर्दिष्ट है:-

तालिका	
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम	सहायक रिटर्निंग अधिकारी
1	2
1-लद्दाख	अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त, लेह मुख्य योजना अधिकारी, कारगिल

तालिका (2) में उल्लिखित उपरोक्त सभी अधिकारी लोक-सभा साधारण चुनाव, 2024 पूरा होने की तारीख से सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करना बंद कर देंगे।

[सं. 434/एलडीके-एचपी/2024(1)]

आदेश से,

बी.सी. पात्रा, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th April, 2024

O.N. 107(E).— In pursuance of the provision of sub-Section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby designates, in consultation with the Government of UT of Ladakh, Officers of Government as specified in column (2) of the table below as Assistant Returning Officers to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the UT of Ladakh, as specified in column(1) of the said Table against such officer:-

TABLE

Number & Name of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
1-Ladakh	Additional District Development Commissioner, Leh
	Chief Planning Officer, Kargil

All the above officers, as mentioned in column (2) of the table shall cease to function as Assistant Returning Officer with the completion of the General Elections to the Lok Sabha, 2024.

[No. 434/LDK-HP/2024(1)]

By Order,

B.C. PATRA, Secy.